

सहायक कलक्टर (SDO)

मुकाम.....

बनाम राजीव कश्यप हवेली अंतर्गत


मुकदमा नं. 111/28 Hraat नं. 185/100 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/07/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री <u>नरपत २००</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/बन्द्/अपील धारा <u>111/28</u></p> <p>राजस्थान काष्ठकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>08/09/2020</u> को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
08/09/20	<p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस तामिल खुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विना गला। विप्राथीगण वाकजुस तामिल अनुपस्थित जिनके सिर्फ एडवोकेट का कार्यवाही केमल में फार्ड जाली ही फोन वास्ते गदस पत्रावली दिनांक 21/09/2020 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
21/09/2020	<p>प्रार्थी पक्षील उपस्थित। विप्राथीगण अनुग। प्रार्थी पक्षील ही गदस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा गला ही प्रार्थी व विप्राथीगणों के घातेवली घेत पास-पास साथे डुर ही। प्रार्थी व विप्राथीगणों के घेतो के महसु जा मुरानी, मादे व उणे साथे डुर घे जो परतमान में प्राथीगों की वजह से किया गये ही जिसमें प्रार्थी को अपने खेले घेत के सेने का सही जान नही हो पा रहा ही। प्रार्थी व विप्राथीगणों के महसु घेत के सेने को लीड</p> <p><i>(Signature)</i></p>	



हमेशा बनाजा बना रहता है। पार्टी को अपने व्यक्त
सौते का सही कान बनने हेतु नैयामबंदी करानी आव-
श्यक है इसलिए पार्टी का नैयामबंदी करवाने संबंधित
विषय जाड़ा नैयामबंदी कीदोश किया जावे।

किस: पार्टी अधिवक्ता के निर्देशन
पर पार्टी का आवेदन संबंधित विषय जाड़ा तदधीनकार
गिड़ा के इमिग्रेशन व सार्वजनिक भू उपयोग संबंधित
सहायक इमिग्रेशन नियुक्त किया जाड़ा कीदोश दिया जाता
है कि साथ स्वयं या सहायक इमिग्रेशन से पार्टी के
प्रादेशी खेले के पक्षी नैयामबंदी मोडें पर इमिग्रेशन
बहुत जमाडराडर है। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
कामिल पत्रावली की पत्रावली फेसल कुमार दीडर दर्ज
नम्बर से उम ही दाखिल प्रकल है।


सहायक कमिश्नर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन / 2020 / 663

दिनांक :- 22/09/2020

आवेदन संख्या -185/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री सादी खां पुत्र रिडमल खां
वगैरा 4 जाति-मुसलमान
निवासी-सुजाणियों की ढाणी,
कसुम्बला भाटियान,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

श्री हबीब खां पुत्र बीलाल खां वगैरा
21, निवासी-सुजाणियों की ढाणी,
कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-सुजाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल-कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 64, 133/63 रकबा क्रमशः 00.04, 07.19 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(विवेक व्यास) सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक :- 22/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 664-668

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री सादी खां पुत्र रिडमल खां वगैरा 4।
4. विप्रार्थीगण श्री हबीब खां पुत्र बीलाल खां वगैरा 21।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

sd-
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु